## Need to maintain steady supply of essential commodities to Tripura

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): Mr. Vice Chairman, Sir, the State of Tripura being landlocked, surrounded by Bangladesh and left with a narrow neck NH-44 towards Assam, is suffering from irregular supply of rice and other essential commodities. The supply of rice under the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana programme has a backlog of 7080 metric tonnes. For the current year, the supply of rice under the SGRY programme is fully due. The supply by road gets disrupted during monsoon due to heavy and continuous rainfall and landslides, which occur almost every year. The Food Corporation of India is urged upon to build up a buffer stock as a precaution during monsoon days. The supply of essential commodities is further disturbed for want of rail rakes. These hurdles are causing a great harm to the smooth functioning of the Public Distribution System and the continuation of rural development works. The Government and private construction works are also suffering for want of rice and other essential commodities like, sugar, kerosene, diesel, petrol and cement etc. So, the Government is called upon to consider the problems seriously and issue necessary instructions to the FCI including the setting up of a buffer stock, and also pursue with the Railway authorities for providing adequate number of wagons and rakes, and also to remove hurdles of any other kind, whatsoever like transportation constraints from which the State is suffering.

## Demand to tackle the problems of irrigation and drinking water in Rajasthan

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** ( **राजस्थान** ) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान राज्य के पश्चिमी भूभाग में अभी तक मानसून की वर्षा न होने एवं इंदिरा गांधी नहर से आवश्यकतानुसार पूरा पानी से मिलने से उत्पन्न पेयजल संकट एवं किसानों कि बर्बादी की स्थिति का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग सातवां हिस्सा है जबकि जलस्रोतों की उपलब्धि मात्र 1.4 प्रतिशत के लगभग हैं। राज्य का पश्चिम भाग मरूस्थलीय हैं। इसके विकास के लिए राज्य के बाहर से पानी लाने की आवश्यकता है। इसी परिपेक्ष्य में सिधुं जल समझौते के समय भारत उपलबध 16.5 मिलियन एकड़ फीट पानी में से आधा पानी राज्य को देने का निश्चय हुआ था। वर्ष 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के समय हरियाणा राज्य के निर्माण के फलस्वरूप पानी के वितरण का पुनर्निर्णय आवश्यक हो गया। वर्ष 1981 में प्रधानंमत्री जी की उपस्थिति में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के

बीच हुई बैठक में राजस्थान को 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी देने का निर्णय हुआ। उसी समय यह भी समझौता हुआ था कि जब तक राजस्थान अपने हिस्से के पूरे पानी का उपयोग कर सके तक तक पंजाब , राजस्थान के हिस्से के पानी का उपयोग कर सकता हैं।

महोदय , अब जब कि राजस्थान नहर का निर्माण काफी प्रगति कर चुका हैं। यह आवश्यक हो गया है कि राजस्थान के हिस्से का पानी उसे पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। पंजाब सरकार राजस्थान का हिस्सा 8.6 मिलियन एकड़ फीट नहीं मानकर केवल 8.0 मिलियन एकड़ फीट मानती है। इसके साथ - साथ पिछले दिनों पंजाब विधान सभा में सतलुज – यमुना लिंक के प्रकरण को लेकर जिस प्रकार किसी भी अन्य राज्य को पानी न देने की चर्चा हुई है उसने राजस्थान में आक्रोश पैदा कर दिया है। इन्दिरा गांधी नहर से सिंचित होने वाला भाग वैसे ही मरूस्थलीय है। इस वर्ष अभी तक वर्षा नहीं होने वहां से पानी की बड़ी मांग है।

सिन्धु जल समझौते के अंतर्गत भारत को मिलने वाले पानी के वितरण का नियंत्रण भाखड़ा व्यास प्रबंध मंडल करता है। इस मंडल पर पंजाब का लभभग नियंत्रण है। इसके अतिरिक्त रोपड़ , हरिके और फिरोजपुर हैड वर्क्स पर तो प्रजाब का ही नियंत्रण है। यह आवश्यक है कि उक्त तीनों हैड वर्क्स का नियंत्रण भी भाखड़ा व्यास प्रबंध मंडल को दिया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भाखड़ा व्यास प्रबंध मंडल में सभी राज्यों और उसके साथ केन्द्रीय सरकार प्रभावी प्रतिनिधित्व हो ताकि पानी के मामले में किसी का हित मारा नहीं जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन्दिरा गांधी नहर में पानी राजस्थान की मांग के अनुसार समय पर और सुनिश्चित मात्रा में छोड़ा जाता रहे। पानी के अभाव में राजस्थान में न केवल पेयजल समस्या उत्पन्न हो जायेगी , अपितु सिंचाई के अभाव में किसान आत्महत्या को मजबूर हो जायेगा। झगड़ा पंजाब और हरियाणा के बीच अपने हिस्से के पानी का हो सकता हैं उसमें राजस्थान को पक्ष बनाना किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है और भारत को इस समस्या के निदान में सहयोग करना चाहिए।'

## Concern over inhuman behaviour with dalit prisoners in Punjab

**श्री राम नाथ कोविन्द ( उत्तर प्रदेश )** : उपसभाध्यक्ष महोदय , मैं आपके माध्यम से पंजाब प्रदेश में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार की एक दर्दनाक घटना की जानकारी सदन को देना चाहता हूं। जालंधर की केन्द्रीय जेल के अधिकारियों ने एक विचारधीन कैदी मलकीत सिंह टीटू की पीठ पर जातिसूचक शब्द गोदने का कुतृत्य किया है। इस कैदी ने 3 जुलाई , 2004 को अपने पेट में हुए दर्द की शिकायत जेल डॉक्टर से की। डॉक्टर ने उसे एक्सपाइरी डेट की दवा दे दी। जब इस बात की शिकायत कैदी ने